

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड हुक्म नं. 302/2017 पदेन सहायक कलक्टर आठखण्ड जिला के करेडा (भीलवाडा) पूर्व के प्रो. 649/14	नम्बर अहकाम हुक्म को में जो
14/05/22	<p> पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के मूला तार का निष्कारण राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा अनुसार हो जाने की प्रतीति का प्रारंभ प्रतीति अथवा कोर्ट कामवाही नहीं चाले है। प्रकरण में प्रतीति द्वारा आगे कोई कामवाही नहीं चाले ले प्रतीति के प्रारंभ की कामवाही इस तरह पर समाप्त की जाती है। प्रकरण में पूर्व में जारी आस्पार्स निवेदन को इस तरह पर समाप्त की जाती है। प्रतीति फेसल शुमार लेकर उज नम्बर से काम हो। </p> <p style="text-align: center;"> उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा </p>	

